कार्यालय नगर पंचायत, सोनपुर, सारण।

आम सूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांकः–4081, दिनांकः–26/12/2024 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश के आलोक में स्वच्छता साथी का चयन किया जाना है जिसकी विवरणी निम्नवत् हैंः–

स्वच्छता साथी कौन होंगेः–

1–स्वच्छता साथी कोई भी भारतीय हो सकता है परन्तु लोकल व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

2–अभ्यर्थी की उम्र 40 से अधिक ना हो।

3–अभ्यर्थी को कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए।

4–अभ्यर्थी की आवाज साफ हो ताकि वे अच्छे से Communicate कर सके।

5–अभ्यर्थी को स्वच्छता से संबंधित कार्यों में कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

6–अभ्यर्थी के रूप में Waste Picker, Citizen Leader, SHG member, Swacchagarhi, Sanitation Worker, Brand Ambassadors एवं NULM, ASHA, Anganwadi worker, NGOs Youth, Community Based Organization, RWAs से संबंधित व्यक्ति या अन्य कोई भी आवेदन कर सकते है।

स्वच्छता साथी के चयन का उद्‌देश्यः–

1–शहर को कचरा मुक्त बनाने के लिए नागरिकों को जागरूक करना एवं उन्हें उत्तरदायी बनाना।

2–शहर को कचरा मुक्त बनाने में नागरिकों की भूमिका पर उन्हें जागरूक करना।

नियम एवं शर्तेः–

1–कार्य अवधि पांच घंटे प्रतिदिन न्यूनतम होगी।

2–प्रतिदिन की उपस्थिति संधारित की जाएगी।

3–छुट्‌टी हेतु निकाय की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

4–नगर पंचायत स्तर पर कुल 5 स्वच्छता साथी की आवश्यकता है।

5–अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्राप्त किए जाने की अंतिम तिथि 25/01/2025 है।

6–अभ्यर्थी अपने दस्तावेजों की फोटोकॉपी स्वअभिप्रमाणित कर नगर पंचायत कार्यालय स्थित काउंटर पर अपराह्न 5 बजे तक जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

7–सभी अभ्यर्थी साक्षात्कार वाले दिन अपने सभी दस्तावेज यथा–संबंधित मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अवश्य लाना सुनिश्चित करेंगे।

8–साक्षात्कार की तिथि–29/01/2025 (बुधवार) को अपराह्न 1 बजे से निर्धारित है।

9–विस्तृत जानकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

10–प्रतिदिन रू0 300.00 के दर से पांच तारीख 20 दिन का मानदेय 300x20=6000.00 रू0 मानदेय में देय होगा।

11–स्वच्छता साथी को Contractual Basis पर Hire एक वर्ष के लिए किया जाएगा, जिसकी अवधी अक्टूबर तक बढ़ाई जा सकती है।

12–प्रत्येक स्वच्छ साथी को प्रत्येक वर्ष में 200 दिनों के लिए Engage किया जाएगा।

13–200 कार्य दिवस प्रत्येक माह में 20 दिन का होगा जो एक वर्ष के किसी भी 10 माह (स्वच्छ सर्वेक्षण में रखते हुए) में मान्य होगा।

14–सभी स्वच्छ साथी को Monitor करने के जिम्मेदारी लोक स्वच्छता पदाधिकारी की होगी।

15–छुट्‌टी एवं अन्य समस्याओं से संबंधित मामले लोक स्वच्छता पदाधिकारी की होगी। किये गये कार्य की समीक्षा प्रत्येक माह की जाएगी एवं लगातार तीन माह तक कार्य संतोषजनक नहीं होने पर हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

नोटः–यह किसी भी प्रकार से **Permanent Position** नहीं है, अतः किसी भी तरह का **Claim** मान्य नहीं है।

20/1/25

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सोनपुर, सारण